an>

Title: Irregularities found in award of tender under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Jharkhand.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, कुछ राज्यों की निÂपादन क्षमता बढ़ाने के लिए झारखण्ड, बिहार एवं उत्तर पूर्व की राज्य सरकारों के साथ तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री के निर्देशानुसार केन्द्र प्रायोजित 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के कार्यों को पूरा करने के लिए सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट और राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय करार संपन्न किया गया है, जिसके बाद इनको काम करने के लिए राज्य सरकार के कैबिनेट ने त्रिपक्षीय करार हेतु अनुबन्ध का एक प्रपत्र निर्धारित किया। झारखण्ड राज्य में कैबिनेट के फैसले का उल्लंघन करते हुए तय प्रपत्र के अनुरूप करार नहीं किया गया। सरकार लेखा नियमों के अनुरूप किसी भी ठेके में ठेकेदार को चाहे वह पी.एस.यू. ही क्यों न हो, ओपन एन्डेड टेण्डर नहीं दे सकती है। निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रकृति, कार्य का परिमापन और कार्य के अनुरूप राशि का स्पÂट उल्लेख होना चाहिए। लेकिन इसमें ओपेन एनडेड टेण्डर दिए गए। साथ ही ग्रामीण विकास के नाम से चलाये जा रहे 'सस्यू एक्शन प्लान' और 'सण्डा एक्शन प्लान' जिसकी निगरानी और देख-रेख भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा था, आज भी यह अधूरा पड़ा है। नियमों को दरकिनार कर इन एक्शन प्लानों के तहत आने वाली राशि को इसके क्षेत्र से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है। समाचार-पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि झारखंड राज्य विधान सभा की एक समिति भी इसकी जांच हेतु बनी हुयी है। तः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूरी प्रक्रिया में लेखा नियमों के उल्लंघन तथा गलत रूप से निविदा देने के मामले की जांच करवाने के लिए केन्द्र एक विशेÂा जांच दल (एस.आई.टी.) गठित करे तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त कर कार्रवाई करे।